

दिनांक आज्ञा पत्र

२५/१/२५

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें; जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक ६/५/२५ को पेश हों।

नएरीट नाल
3534
3.5.24

६/५/२५

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली पेश / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड २३/५/२५ को पेश हों। पत्रावली में पूर्वा में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

२७.५.२५

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल हुकर लेकर सभ्य के कम हुकर बाद तस्वीब तकमील दाखिल दफतर हो।



सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
घदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प कुन्डन)

311-81
2705-7-15

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें; जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक ६/५/२५ को पेश हों।

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली पेश / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड २३/५/२५ को पेश हों। पत्रावली में पूर्वा में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
घदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प कुन्डन)